

SEEPAT ROA  
P.O.: SECL  
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोल्डफिल्डलिमिटेड  
South Eastern Coalfields Limited  
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)  
CIN U10102CT1985GOI003161  
Website : [www.secl-cil.in](http://www.secl-cil.in)



STD :07815 275430(O)  
: 7815 275032(R)  
Fax :07815 275434  
email :gevraenvt@gmail.com

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट  
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)  
पिन:495452

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र  
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT  
Distt.: Korba (C.G.)  
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2021 / 76

दिनांक 08/06/2021

प्रति,  
वनमण्डलाधिकारी,  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा,  
जिला - कोरबा (छ.ग.)

विषय:-Proposal seeing prior approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for non-Forestry use of 112.385 Ha. of Revenue Forest Land Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Renge, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL (Chhattisgarh) -reg.पंजीयन क्रमांक/SAR/SAR/SSR/MJM/ 205/016

संदर्भ :- क्रमांक/तक.अधि/2021/3444 कटघोरा, दिनांक 05.06.2021

संदर्भ :-1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र/भू-प्रबंध/खनिज/331-215/1058 दिनांक 19.05.2021

उपरोक्त संदर्भित विषयोंतर्गत चाही गई 04 बिंदुओं की वांछित जानकारी तैयार कर आपके वरिष्ठ कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.	स्थिति	अनुपालन
1	बिंदु क्रमांक (i) आवेदक संस्थान का वैकल्पिक वृक्षारोपण के अन्तर की राशि जमा करने का वचन पत्र अप्राप्त है	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र संलग्न है Annex-1
2	बिंदु क्रमांक (ii) Patch-4 में पूर्व में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है तथा Patch-5 में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।	राज्य शासन द्वारा निराकरण किया जाना अपेक्षित है।
3	बिंदु क्रमांक (iv) वन्यप्राणी द्वारा दिनांक 03.07.2020 के माध्यम से चाही गई जानकारी का वन मण्डलाधिकारी द्वारा आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 504 दिनांक 25.02.2021 से मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी), बिलासपुर को भेजे जाने का उल्लेख किया है एवं संलग्नक परिशिष्ट -5 गया जो संलग्न नहीं है।	पत्र क्रमांक 504 दिनांक 25.02.2021 संलग्न है Annex-2
4	बिंदु क्रमांक (v) सेफ्टी जोन के 1.5 गुणा 11.25 हे.	शर्त क्र. (xxiv) परिपालन में सेफ्टी जोन के 1.5 गुणा

बिगडे वन क्षेत्र का वितरण योजना KML/shape file एवं क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	क्षेत्र 11.25 हे. में बिगडे वनो पर वृक्षारोपण हेतु रु. 7427748/- की राशि माँग पत्र के अनुसार कर दिया गया है। पालनार्थ वन विभाग द्वारा चयनित कर योजना बनाई जानी है।
---	--

भवदीय  
7/6/21  
महाप्रबंधक  
एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र

प्रतिलिपि:

- 1.- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर -19, अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 2.- मुख्य वन संरक्षण बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

SEEPAT ROA  
P.O.: SECL  
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोल्डफिल्डलिमिटेड  
South Eastern Coalfields Limited  
(कोल इण्डिया का एक अंग/ A subsidiary of Coal India Ltd.)  
CIN U10102CT1985GOI003161



Annex - 1

STD :07815 275430(O)  
: 7815 275032(R)  
Fax :07815 275434  
email :gevraenvt@gmail.com

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट  
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)  
पिन:495452

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT  
Distt.: Korba (C.G.)  
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2021 /

दिनांक /06/2021

**VACHAN PATRA**  
(112.385 HA FOREST LAND)

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कुल क्षेत्र 224.77 हे. ही है जिसके लिए दिनांक 03.03.2018 को जारी डिमॉंड नोट के अनुसार रु. 148403044/- की राशि वृक्षारोपण एवं अतिरिक्त रु. 37100761/- की राशि जो की वृक्षारोपण की राशि का 25% है, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु जमा किया गया है। अतः कोई राशि शेष नहीं है। भविष्य में किसी भी प्रकार की अन्तर की राशि देने हेतु गेवरा क्षेत्र वचन बद्ध है।

भवदीय  
श्री एस.के.मोहन्ती  
महाप्रबंधक  
एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2020/ 504  
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 25.02.2021

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  
एवं क्षेत्र संचालक,  
अचानकमार टाईगर रिजर्व  
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण बाबत।

संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./व.जी./प्रबंध-488 /2519 नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2020

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ओ.सी.पी. गेवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना तैयार कर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर द्वारा 04 बिंदुओं की चाही गई जानकारी तैयार कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	समस्त वनभूमि में डायवर्सन योजनाओं के स्टेज 1/2 के स्वीकृति जा भारत सरकार से जारी की गई हो की जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों का अवलोकन करें जिसके पालन में उक्त योजनायें तैयार की गई है।	प्रथम चरण स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है।
2	उक्त समस्त प्लान का अध्ययन करें एवं इस बाबत अभिमत देवें की प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र की वास्तविक योजनाओं पर आधारित है।	OCP गेवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना का अध्ययन किया गया। प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र वास्तविक योजनाओं पर आधारित है एवीफौना योजना से सहमति व्यक्त की जाती है।
3	यदि प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र में हो तो मानव - हाथी द्वन्द एवं हाथी मानिट्रिंग हेतु पर्याप्त प्रावधान होना सुनिश्चित करें।	प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
4	प्रोजेक्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रबंधन, मानिट्रिंग आदि	प्रोजेक्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रबंधन मानिट्रिंग

हेतु अन्य आवश्यक कार्य जो क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप है।	जैसे आवश्यक कार्य योजना में सम्मिलित किये गये है।
---	---

संलग्न: उपरोक्तानुसार

पू. क्रमांक/तक.अधि./2020/ 505  
प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
कटघोरा, दिनांक 25.02.2021

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

SEEPAT ROAD

P.O.: SECL  
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोलफिल्डस्लिमिटे  
**South Eastern Coalfields Limited**  
(कोल इण्डिया का एक अंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)  
CIN U10102CT1985GOI003161  
Website : [www.secl-cil.in](http://www.secl-cil.in)

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र  
**OFFICE OF THE GENERAL MANAGER**  
**GEVRA AREA**

STD :07815 275430(O)  
: 7815 275032(R)  
Fax :07815 275434  
email :gevraenvt@gmail.com



पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट

P.O. : GEVRA PROJECT

Distt.: Korba (C.G.)

Pin: 495452

जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)  
पिन:495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2021 / 75

दिनांक 08/06/2021

To  
The DFO  
Katghora Division

SUB: Proposal seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh -reg.


REF: Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Forest Conservation Division)  
vide letter Dt: 14.05.2021

Dear Madam

With reference to the above referred letter, the updated status of Reclamation as on 01.04.2021, Biological reclamation map & photographs with GPS Location is enclosed herewith for further necessary action.

Thanking you.

Yours Sincerely

  
General Manager

SECL Gevra Area

Copy to:

1. The Principal Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh, Naya Raipur
2. Additional Principal Chief Conservator of Forest, Raipur
3. Chief Conservator of Forest, Bilaspur

**Status of Technical & Biological Reclamation as on 01.04.2021  
SECL Gevra OCP**

Internal Dump / Backfilled area details (In Ha.)										External OB dump Details (In Ha.)				Total Reclaimed Area (In Ha.)	
Total Quarriable area	Void to be left at the closure of the project	Total Area Excavated	Prorata area not required to be backfilled	Total Area under technical reclamation	Balance Area to be Technically reclaimed	Area Biologically reclaimed	Balance area to be biologically reclaimed	Total area technically reclaimed	Total Area of external OB dump	Balance area to be technically reclaimed	Area biologically reclaimed	Balance area to be biologically reclaimed	Total Technically reclaimed area	Total Biologically reclaimed area	
2037.250	659.250	1668.720	539.994	852.229	276.497	122.600	1006.126	374.331	374.331	0	367.200	7.131	1226.560	489.800	

As on 01.04.2021 the total area biologically reclaimed is 489.800 Ha. with a total plantation of 1383470 saplings.

**Yearly Status of Technical & Biological Reclamation since April 2017  
SECL Gevra OCP**

Year	Internal Dump / Backfilled area details (In Ha.)										External OB dump Details (In Ha.)				Total Reclaimed Area (In Ha.)		Total No. of saplings as on date
	Total Quarriable area	Void to be left at the closure of the project	Total Area Excavated	Prorata area not required to be backfilled	Total Area under technical reclamation	Balance Area to be Technically reclaimed	Area Biologically reclaimed	Balance area to be biologically reclaimed	Total area technically reclaimed	Total Area of external OB dump	Balance area to be technically reclaimed	Area biologically reclaimed	Balance area to be biologically reclaimed	Total Technically reclaimed area	Total Biologically reclaimed area		
2017	2037.250	659.250	1419.000	459.186	694.663	265.151	122.600	837.214	374.331	0	282.200	92.131	1068.994	404.800	1223470		
2018	2037.250	659.250	1480.000	478.925	760.231	240.844	122.600	878.475	374.331	0	312.000	62.131	1134.562	434.800	1323470		
2019	2037.250	659.250	1566.600	506.949	789.135	270.516	122.600	937.051	374.331	0	367.200	7.131	1163.466	489.800	1383470		
2020	2037.250	659.250	1639.100	530.409	842.991	265.700	122.600	986.091	374.331	0	367.200	7.131	1217.322	489.800	1383470		

  
 Nodal Officer (ENV/Forest)  
 SECL Gevra Area  
 शा.सं.जी.सं.सं./सि.सं.सं.

**Government of India**  
**Ministry of Environment, Forests and Climate Change**  
**(Forest Conservation Division)**

\*\*\*\*\*

Indira Paryavaran Bhawan,  
Alignaj, Jorbagh Road,  
New Delhi - 110003  
Dated: 14<sup>th</sup> May, 2021

To,  
**The Principal Secretary (Forests),**  
Government of Chhattisgarh,  
Naya Raipur

**Sub: Proposal seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District-Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh -reg.**

Sir,

I am directed to refer to the Government of Chhattisgarh's letter no. 5-12/2017/10-2 dated 25.11.2020 on the above subject forwarding a report on the compliance of conditions stipulated in the Stage-I approval dated 29.07.2017 and this Ministry's letter of even number dated 22.01.2021 seeking additional information observed to be sought in the compliance report. In this connection, it is to inform that matter has been further examined in the Ministry in light of provisions stipulated in condition no. (xv) of the Stage-I approval wherein it is observed that for want of availability of the members of the Sub-Committee mentioned therein, site visit to the proposed area could not be conducted to assess the status of reclamation by the User Agency. With a view to ensure compliance of said condition, it has been desired that updated status of reclamation under taken by the User Agency in their lease area may be intimated by the State Government.

In view of the above, I am directed to request the State Government to submit the information, as indicated above, to this Ministry for further necessary action in the matter.

Yours faithfully,

sd/-  
**(Charan Jeet Singh)**  
Scientist 'D'

**Copy to:**


1. The PCCF, Government of Chhattisgarh, Naya Raipur
2. Addl. PCCF & Nodal officer, O/o the PCCF, Government of Chhattisgarh, Naya Raipur
3. The Regional Officer, Integrated Regional Office of the MoEF&CC at Naya Raipur.
4. Monitoring Cell of FC Division
5. User Agency


File No.8-41/2017FC

6. Guard File

Validity unknown

Digitally signed by CHARAN  
JEET SINGH  
Date: 2021.05.17 16:22:59 IST





1 ALL RIGHT BOUNDARY  
 2 EXISTING MINE BOUNDARY  
 3 PROPOSED MINE BOUNDARY

CERTIFIED THE PLAN IS CORRECT AND BROUGHT UP TO DATE

**SOUTH EASTERN COAL FIELD LTD.**  
**GEVRA OPEN CAST PROJECT**  
**GEVRA AREA**

**PROPOSAL FOR PLANTATION WORK FOR THE YEAR 2014-15 TO 2015-16**

GENERAL MANAGER  
 AREA SURVEY OFFICER  
 MANAGER



S.E.C.L. भोवरा

रोपण वर्ष - 2017

पञ्जाति मिश्रित

पौधा संख्या - 106000



SECL मैदरा  
रोपण वर्ष - 2018-19  
प्रजाति मिश्रित  
पैदा संख्या - 60,800





POCO  
SHOT ON POCO F1

SEEPAT ROAD

P.O.: SECL  
BILASPUR



साउथईस्टर्नकोलफिल्ड्सलिमिटे  
South Eastern Coalfields Limited  
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)  
CIN U10102CT1985GOI00316  
Website : [www.secl.gov.in](http://www.secl.gov.in)



STD :07815 275430(O)

: 7815 275032(R)

Fax :07815 275434

email :gevraenvt@gmail.com

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट

जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)

पिन:495452

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT

Distt.: Korba (C.G.)

Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./वन/पर्या /2021 / 478

दिनांक 11/02/2021

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
जिला- कोरबा (छ.ग.)।

विषय :-Proposal seeking prior approval of Central Government under Forest ( Conservation ) Act.1980 for non- forestry use of 112.385 Ha of Revenue Forest Land Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest Range, District- Korba – Chhattisgarh in favoer of SECL ( Chhattisgarh )-reg.

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक /तक.अधि. /2020 /782 दिनांक 03.02.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत चाही गई जानकारी बिंदुवार संलग्न कर आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय  
  
महाप्रबंधक

एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र  
11/2

प्रतिलिपि :-

- 1 : - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर-19 अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 2 : - मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

S.NO	EDS RAISED	EDS Reply
i	<p>As per CA scheme submitted along with the proposal, financial provision of Rs. 12,33,18,482/- were estimated for raising CA and another Rs. 6,02,80,244/- for 83 ha of degraded forest land while Rs. 18,55,03,805/- have now been reported to be realized from the user agency. It cannot be ascertained from the report whether compensatory levies realized for raising CA include additional cost of 25% of CA estimate. The State Government therefore needs to clarify the same. In case additional cost of 25% has not been realized, the same may be realized and deposited into the account of CAMPA. SMC scheme, if any, prepared, in compliance to this condition also needs to be intimated by the State.</p>	<p>प्रस्ताव के साथ जमा की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना जो की 224.77 हे बिगड़े वनों के लिए प्रस्तावित थी। प्रथम चरण स्वीकृति की शर्त क्रमांक iii के अनुसार चयनित भूमि में से लगभग 83 हे बिगड़े वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अयोग्य पाए जाने के कारण द्वितीय चरण स्वीकृति के पहले 83 हे वैकल्पिक बिगड़े वन चयनित करने के लिए कहा गया। तदनुसार पूर्व में बनी योजना में से 83 हे. क्षेत्र घटाकर वैकल्पिक 83 हे क्षेत्र केंदई रेंज में चयनित किया गया एवं अद्यतन दर से योजना बनाई गई। जिसके लिए राशि रु. 60280244 का प्रावधान किया गया।</p> <p>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कुल क्षेत्र 224.77 हे. ही है जिसके लिए दिनांक 3.3.2018 को जारी डिमांड नोट (संलग्न अनेक्सर-1) के अनुसार रु. 148403044/- की राशि वृक्षारोपण एवं अतिरिक्त रु. 37100761/- की राशि जो की वृक्षारोपण की राशि का 25% है मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु जमा किया गया है। अतः कोई राशि शेष नई है। भविष्य में किसी भी प्रकार की अंतर की राशि देने हेतु आवेदक संस्थान वचन बद्ध है।</p>
ii	<p>As per examination of the alternate land of 83 ha of degraded forest land using Google Satellite Imagery, Patch-5 has been observed with encroachment while Patch-4 was observed with per-plantation operations. The State Government therefore needs to re-confirm the suitability of 83 ha of degraded forest land for raising CA.</p>	<p>83 हे के वैकल्पिक चयनित क्षेत्र के kml को दर्शाते हुए Stock Map की प्रति (संलग्न अनेक्सर-2) एवं Google Earth Image (संलग्न अनेक्सर-3) संलग्न की गई है। Patch4 में कोई पूर्व का वृक्षारोपण नहीं किया गया है। चयनित क्षेत्र के Patch 5 में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।</p>
iii	<p>Compliance of condition no (xii) has been reported in the form of undertaking only. CAT Plan prepared by the CGCOST, stated to be submitted has not been received along with compliance. A comprehensive CAT Plan, in compliance to said condition needs to be submitted along with financial provisions for the implementation of its provisions and status of their deposition into the account of CAMPA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सीजीकॉस्ट (CGCOST) द्वारा तैयार किये गये CAT प्लान को पत्र क्र0 234 दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से डीएफओ कटघोरा के समक्ष 04 प्रति में जमा किया जा चुका है। (संलग्न अनेक्सर-4)</li> <li>• इसके अलावा अध्ययन रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित संरचना का अनुमानित राशि रूपये 84.48 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे पत्र क्र0 282 दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से डीएफओ कटघोरा के समक्ष 05 प्रति में जमा किया जा चुका है। (संलग्न अनेक्सर-5)</li> </ul> <p>नोट:- उक्त 84.48 लाख रूपये की राशि में से 15.51 लाख रूपये को गोवरा परियोजना द्वारा खान लीज क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा एवं 66.97 लाख रूपये को वन विभाग के माध्यम से खान लीज क्षेत्र के बाहर कार्य कराये जाने हेतु कैम्पा में जमा किया जायेगा।</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>इसके पश्चात डीएफओ कटघोरा द्वारा आवश्यक जांच पश्चात दिनांक 25.11.2020 को उक्त अनुमानित राशि को सीसीएफ बिलासपुर को अग्रेषित किया गया (संलग्न अनेक्सर-6) । सीसीएफ बिलासपुर द्वारा उक्त को जांच पश्चात दिनांक 15.01.2021 को एपीसीसीएफ रायपुर को अग्रेषित किया गया। (संलग्न अनेक्सर-7)</li> </ul>
iv	Condition no. (xiii) has not been complied with. Compliance of the condition needs to be submitted by the State indicating the progress made so far by the user agency, supported with documentary evidences, to assess the impact of intervention undertaken by the SECL on protection and conservation of wildlife in the area.	<p>उक्त के अनुपालन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर एक अध्ययन राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान(SFRTI), रायपुर के माध्यम से किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अध्ययन रिपोर्ट 04 प्रति में डीएफओ कटघोरा के समक्ष पत्र क्र० 208 दिनांक 27.08.2019 के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्न अनेक्सर-8)</li> <li>इसके पश्चात एपीसीसीएफ रायपुर को दिनांक 29.11.2019 को अग्रेषित किया गया।(संलग्न अनेक्सर-9)</li> <li>एपीसीसीएफ(वाइल्ड लाइफ) द्वारा दिनांक 03.07.2020 के माध्यम से डीएफओ कटघोरा से जानकारी चाही गयी। (संलग्न अनेक्सर-10)</li> <li>डीएफओ कटघोरा द्वारा उक्त के संबंध में जांच हेतु दिनांक 24.12.2020 को एसडीओ पाली को अग्रेषित किया गया। (संलग्न अनेक्सर-11)</li> <li>एसडीओ पाली द्वारा उक्त के संबंध में जांच कर दिनांक 22.01.2021 को डीएफओ कटघोरा को अग्रेषित किया गया है।(संलग्न अनेक्सर-12)</li> </ul>
v	Detail of the degraded forest area, 1.5 times the area of safety zone, has not been submitted. The same needs to be submitted along with supporting detail such as afforestation plan, KML/Shape files, suitability certificate from the DCF concerned.	शर्त क्र. Xxiv के परिपालन में सेफ्टि झोन के 1.5 गुना बिगड़े वनों पर वृक्षारोपण हेतु रु. 7427745/- की राशि माँगपत्र के अनुसार कर दिया गया है। पालनार्थ 11.25 हे. बिगड़े वन क्षेत्र वन विभाग द्वारा चयनित कर योजना बनाई जानी है।
vi	Detailed report in compliance to condition no. (xxxiv) of the Stage-I approval on settlement of rights proposed to be implemented in respect of identified in respect of 41 right holders in the proposed area has not been intimated by the State.	कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में आयोजित जिला पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार भूमि का मुआवजा छ0ग0 पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार किया जाना है एवं कलेक्टर कोरबा के अनापत्ति पत्र क्रमांक 801 / भू.अ. /स. अ.भू.अ /2015 दिनांक 29.04.2015 में शर्त क्रमांक 6 में यह दी गयी है। (संलग्न अनेक्सर-13)

  
**नोडल ऑफिसर (पर्यावरण/वन)**  
**Nodal Officer (ENV/Forest)**  
**SECL/Gevra Area**  
 एस.ई.सी.एल./गेवरा क्षेत्र



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)  
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2018/ .....  
प्रति, 2031

कटघोरा, दिनांक .....  
3-3-18

संशोधित

महाप्रबंधक  
एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र  
जिला कोरबा (छ.ग.)

विषय : Diversion of 112.385 ha of Revenue forest land for Gevra open Cast Mine (OCM) in Katghora Forest range, District - Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh. Registration No. FP/CG/MIN/13199/2015

संदर्भ: 1. MOEF का पत्र क्र. F.No.8-41/2017-FC dt. 27.9.17  
2. कार्या. पत्र क्र. 8901 दि. 13.10.17, 11110 दि. 30.12.17 एवं 991 दि. 03.02.18

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गेवरा ओपन कास्ट परियोजना हेतु प्रथम चरण स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। जिसमें निहित शर्तों 1 से 37 तक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, साथ ही निम्नानुसार राशि ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में RTGS के माध्यम से राशि जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

शर्त क्र. ii एवं xvii के पालन हेतु 224770 नग पौधे एवं सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ निम्नानुसार Ad-hoc Campa में जमा करें।

क्र.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हे. मे.)	CA हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.)	अद्यतन दर वर्ष 2018-19 (10% दर वृद्धि सहित)	राशि
1.	112.385	224.77	660244	148403044/-
2.	MOEF के शर्त क्र. 02 के अनुसार मुदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु CA का 25 प्रतिशत			37100761/-
कुल योग :-				185503805/-

शर्त क्र. xviii के पालन हेतु प्रत्याशा मूल्य की राशि निम्नानुसार Ad-hoc Campa में जमा करें।

क्र.	इको क्लास अनुसार	रकबा	दर	राशि
1.	III (3B/C2 Southern Dry Mixed Deciduous Forest)	112.385	6,26,000	7,03,53,010/-

शर्त क्र. xxvii के पालन हेतु माईन्स बाउंड्री से लगे हुये वनभूमि जो 100 मी. की सीमा में स्थित बिगड़े वन में गैप प्लानटिंग की राशि निम्नानुसार Ad-hoc Campa में जमा करें।

क्र.	बिंदु क्र. 27 की पालन हेतु	दर	राशि
1.	1.9 किमी. ल. X 100.00 m. = 19 ha.	660244	12544636/-

शर्त क्र. xxiv के पालन हेतु सेपटीजोन के 1.5 गुना बिगड़े वन में वृक्षारोपण की राशि निम्नानुसार Ad-hoc Campa में जमा करें।

क्र.	कुल लम्बाई	रकबा (1.5 गुना)	दर	राशि
1.	10 KM X 7.5 m = 7.5 ha.	11.25	660244	7427745/-

उपरोक्तानुसार बिंदु क्र. 1 से 3 तक की राशि रू. 7,03,53,010 + 18,55,03,805 + 74,27,745 + 1,25,44,636 = 27,58,29,196/- का ई-चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में राशि जमा कर पावती प्रस्तुत करें। सेप्टी जोन का निर्माण कार्य आवेदक विभाग द्वारा कराया जावेगा।

संलग्न: संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

क्रमांक/तक.अधि./2018/24.32  
प्रतिलिपि:

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
कटघोरा, दिनांक 9-3-18

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. परिक्षेत्र अधिकारी जटगा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। पूर्व में प्रेषित CA योजना को वर्ष 2018-19 की दर (660244/- प्रति हे.) से तैयार करें एवं 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु जोड़ते हुये तैयार कर प्रस्तुत करें, साथ ही सेप्टी जोन के डेढ़ गुना क्षेत्र (11.25 हे. ) बिगड़े वन (नारंगी या राजस्व वनभूमि) में वृक्षारोपण एवं मृदा जल संरक्षण कार्य हेतु योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा


# STOCK MAP

(OF PROPOSED LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION FOR GEVRA OPEN CAST PROJECT)



TOPOSHEET NO. 64-J 5/7

SCALE - 1:15,000



• CA\_Points  
 □ CA\_Area  
 Contour  
 Village/Town

MAP PREPARED FOR SECL, GEVRA

TOPOSHEET INDEX

निर्वाह के लिये नहीं  
NOT FOR EXPORT

LEGEND		Forest Age Class		
Forest Class		More Mature	Mature	More Young
Under Stocked	Blank	Encroachment	Forest Village	Preservation Plot
US	Blanks	Encr	PP	
SITE QUALITY		Working Circle		
I	II	III	IVa	IVb
Va	Vb			
SAL FOREST		Govt. Forest Boundary		
MIXED FOREST		Compartment Boundary		
TEAK FOREST		Division Boundary		
		Range Boundary		
		Forest Road		
		PWD Road		

64 J-5/4	64 J-5/7	64 J-5/1
64 J-5/8	64 J-5/8	64 J-5/2

**MAP SUBJECT:**  
STOCK MAP FOR PROPOSED CA LAND AREA OF 133ha. AGAINST DIVERTED REVENUE FOREST LAND OF 112.385ha. IN FAVOR OF SECL OPEN CAST PROJECT GEVRA, KATGHORA DIVISION

**SHAPEFILE PROVIDED BY USER AGENCY**

SCALE 1:15,000

Prepared by:

Stock Mapping by:


Date Sounded (d):  
1. Forest Boundaries are based on Stock Map (Scale 1:15000)  
2. Natural Features are based on Digital SGI Data (Scale 1:50000)

Digitally Compiled and Printed at: REGIONAL GEOMATIC CENTER, BILASPUR

Co-Ordinate System of SHAPEFILE:  
Projected Coordinate System: UTM, Zone 48N  
Projection: Transverse\_Mercator  
Datum: D. WGS\_1984  
Unit: Dypree

FOR AREA CALCULATION:  
WGS 1984 UTM Zone 48N

Disclaimer: This map prepared as a part of the project for the proposed compensatory afforestation against diverted revenue forest land, is prepared by the Regional Geomatic Center, Bilaspur, Jharkhand, India. The user agency is advised to use the features of map prepared in their work and to ensure that the accuracy of the data is maintained. The Geomatic Center, Bilaspur shall not be responsible for any consequences arising out of the use of the map.



SEPPA ROAD

BLASPUR



साउथईस्टर्नकोलफिल्ड्सलिमिटेड  
South Eastern Coalfields Limited  
(कोलइंडियाकाएकअंग) (A subsidiary of Coal India Ltd.)  
CIN U10102CT1985GO1003161  
Website : [www.secl-cil.in](http://www.secl-cil.in)



Phone : 031-8274951  
Fax : 0315 27503/403  
E-mail : [gevra@secl.com](mailto:gevra@secl.com)

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
GEVRA AREA

पोस्टाड गेवरा प्रोजेक्ट  
जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)  
पिन-495452

P.O. : GEVRA PROJECT  
Distt. Korba (C.G.)  
Pin-495452

क्रमांक एस ई सी एल मप्र गे क्षेत्र पर्यावरण 2020-2321

दिनांक 15/07/2020

To  
The DFO  
Raigadhra Division  
Raigadhra Korba

SUB: Submission of Final Report on Catchment Area Treatment Plan prepared by Chhattisgarh Council of Science & Technology, Raipur in respect of Gevra OCP.

REF: MoEF&CC Stage I Clearance L.No. S-41/2017-FC dated 27.09.2017

Dear Madam

I am enclosing herewith the Final Report on Catchment Area Treatment Plan prepared by Chhattisgarh Council of Science & Technology Raipur in respect of Gevra OCP.

This is in compliance to condition no. XII of MoEF&CC Stage I Clearance L.No. S-41/2017-FC dated 27.09.2017 which states "With a view to enrich the water regime in the area of Gevra Catchment area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project area."

This is for your kind information

Thanking You,

*(Signature)*  
General Manager  
Gevra Area

Copy to: Additional Principal Chief Conservator of Forest (Land Mgmt. & Conservation) Bilaspur Division, Bilaspur, C.G.



चार कॉपी प्रकृत स्थिति

SEEPAT ROAD

P.O.: SECL  
BILASPUR

साउथईस्टर्नकोलफिल्ड्सलिमिटे  
South Eastern Coalfields Limited  
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)  
CIN U10102CT1985GOI003161  
Website : [www.secl-cil.in](http://www.secl-cil.in)



STD :07815 275430(O)

: 7815 275032(R)

Fax :07815 275434

email :gevraenvt@gmail.com

पो:आ0:गेवराप्रोजेक्ट  
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)  
पिन:495452

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र  
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
GEVRA AREA

P.O. : GEVRA PROJECT

Distt.: Korba (C.G.)

Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./पर्यावरण/2020/ 282

दिनांक 02/09/2020

To  
The DFO  
Katghora Division  
Katghora Korba

SUB. Submission of Estimate on Erosion Control Recommendations (Proposed Structure) of Comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

Dear Madam

Please find enclosed herewith the Estimate on Erosion Control Recommendations (Proposed Structure) of Comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology. The final report on Comprehensive Catchment Area Treatment Plan was previously submitted vide letter no. क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./पर्यावरण/2020/234 दिनांक 15/07/2020

This is in compliance to the Condition no. xii of 112.385 ha. Stage I/ In principle approval vide no. L.No. 8-41/2017-FC dated 27.09.2017 in respect of SECL Gevra OCP, which states "With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost."

Thanking You

Yours Sincerely


  
General Manager

SECL Gevra Area

1. Additional Principal Chief Conservator of Forest (Land Management), Naya Raipur, CG  
Chief Conservator of Forest, Bilaspur Division, Bilaspur CG



पांच प्रति प्रतल किया



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./2020/2509  
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 25.11.2020

मुख्य वन संरक्षक  
विलारापुर वृत्त,  
विलारापुर (छ.ग.)

विषय : Submission of Estimate on control recommendations (Proposed structure) of comprehensive Catchment Area Treatment Plan study by Chhattisgarh Council of Science & Technology in respect of SECL Gevra OCP.

संदर्भ : महाप्रबंधक गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा का पत्र क्र एस.ई.सी.एल./ग.प्र./गै.क्षे./पर्यावरण 2020 / 375 दि. 31.10.2020

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र द्वारा गेवरा ओपन कास्ट परिशेजना 112.385 हे. हेतु कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान प्रस्तुत किया है जिसे परीक्षण उपरांत आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न: कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान 04 प्रतियों।

वनमंडलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
कटघोरा, दिनांक 25.11.2020

क्रमांक/तक.अधि./2020/2510

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर -19, अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

NO. 5121  
15/12/2020

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001  
 फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221305 E-mail : ccf.bilaspur-cgg@gov.in

क्रमांक/ताक/ 128

बिलासपुर, दिनांक 15-01-2021

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक  
(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:- Diversion of 112.385 ha. of Revenue Forest land for Gevra Open Cast Mine (OCM) in Katghora forest range, District - Korba Chhattisgarh in favour of SECL, Chhattisgarh

संदर्भ :- वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./ताक,अधि./2509, दिनांक 25.12.2020

— 00 —

विषयांतरगत लेख है कि प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति क्र./8-41/2017-FC दिनांक 27.09.2017 के अधिरोपित शर्त क्र. 12 के अनुसार कैचमेन्ट, ट्रीटमेन्ट एरिया प्लान आवेदक एस.ई.सी.एल. के द्वारा वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसे वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के द्वारा परीक्षण उपरांत प्रेषित किया गया है। अतः प्रकरण में कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान के क्रियान्वयन हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान अनुमोदन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।  
 संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक


बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 15-01-2021

पू. क्रमांक/ताक/ 129

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. गेवरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।



मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

SEEPAT ROAD  
P.O.: SECL  
BILASPUR



साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड  
South Eastern Coalfields Limited  
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India)  
CIN U10102CT1985GOI003161  
Website : [www.secl.gov.in](http://www.secl.gov.in)



STD : 07815 275430(O)  
: 7815 275032(R)  
Fax : 07815 275434  
email : [gevraenvt@gmail.com](mailto:gevraenvt@gmail.com)

पो.आ.0: गेवरा प्रोजेक्ट  
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)  
पिन: 495452

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र  
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER  
GEVRA AREA

P.O.: GEVRA PROJECT  
Distt.: Korba (C.G.)  
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्ष./पर्यावरण/2019 / 208

दिनांक 27/08/2019

To  
The DFO  
Katghora Division  
Korba.

SUB: - Submission of Final Report on Wild Life Conservation Plan including Alternate habitat development plan for affected avifauna of core area of Gevra OCP.


Dear Sir

Please find enclosed herewith the additional two copies of Final Report (3 copies previously submitted on 19.08.19) on Wild Life Conservation Plan including Alternate habitat development plan for affected Avifauna of core area of Gevra OCP by State Forest Research and Training Institute, Raipur CG.


This is in Compliance to condition no.(xiii) and (xxiii), stipulated in 112.385 Ha. In-principle / Stage I Approval for SECL Gevra Open Cast Project.

Thanking you

Yours Sincerely

  
27/8/19  
General Manager  
SECL Gevra Area

Copy To  
General Manager (Mining/Forest), SECL Bilasour HO



wild life cons plans file


कार्यालय—मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक,  
अचानकमार टाईगर रिजर्व, कोनी, बिलासपुर (छ0ग0)

Email : fielddir\_atr@rediffmail.com, wildlifecf@gmail.com, Ph./Fax No. (O) - 07752-260070

क्रमांक/व.प्रा./माचि/2019/3046  
प्रति,

बिलासपुर/दिनांक 29/11/2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  
सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन  
प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर  
रायपुर (छ.ग.)



विषय :- Submission of Interim Report on Prepration of Wild Life Conservation Plan including Alternat habitat development Plan for affected Avifauna of core area of Gevera OCP.

संदर्भ :- वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्रमांक/तक.अधि./2019/2055 दिनांक 26.08.2019.

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि SECL गेवरा ओपन कास्ट खदान कटघोरा, जिला—कोरबा (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत परियोजना कुल व्यपवर्तित रकबा 112.385 ha. जो कटघोरा परिक्षेत्र, कटघोरा वनमंडल में स्थित है, के विस्तार के लिए स्वीकृति मिलने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के तारतम्य में MoEF भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Letter No No 8-41/2017-FC Dated 27th September 2017 (संलग्न) के कंडिका कमांक (XIII) में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु वन्यप्राणी संरक्षण एवं एवीफौना योजना इस कार्यालय में वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के संदर्भित पत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया। परियोजना 05,53,52,517 (पांच करोड़ तिरपन लाख बावन हजार पांच सौ सत्रह रु). की है। प्राप्त वन्यप्राणी संरक्षण एवं एवीफौना योजना का परीक्षण किया गया। उक्त वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन योजना वन्यप्राणी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है।

अतः वनमण्डलाधिकारी कटघोरा द्वारा प्रेषित SECL गेवरा ओपन कास्ट खदान कटघोरा, जिला—कोरबा (छ.ग.) कुल रकबा 112.385 हे. जो कटघोरा परिक्षेत्र, कटघोरा वनमंडल में स्थित है, के विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत वन्यप्राणी संरक्षण एवं एवीफौना योजना को वाईल्ड लाईफ

हेबिटेड इम्प्रूवमेंट अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में हाथियों के आवागमन को देखते हुए हाथियों एवं अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंधन में होने वाले खर्च का समायोजन परियोजना में करने हेतु प्रस्तावित करते हुए तकनीकी स्वीकृति की अनुशंसा सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार परियोजना की दो प्रतियाँ।

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)  
एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व  
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर/दिनांक 20/11/2019

क्रमांक/व.प्रा./माचि/2019/3047

- प्रतिलिपि :- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।  
(2) वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।  
(3) महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. गेवरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)  
एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व  
बिलासपुर (छ.ग.)

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़**

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)  
 ✉ cwlwecg@gmail.com, apecfwildlife@gmail.com (☎0771-2512880, ☎ 0771-2512881)

क्रमांक/व.जी./प्रबंध-488/2519  
 प्रति

नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020

वनमंडलाधिकारी,  
 कटघोरा वनमंडल, कटघोरा  
 छ.ग.

विषय- विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण बाबत।

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि रायगढ़ जिले में निम्न वनभूमि डायवर्सन प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन में पक्षी संवर्धन परियोजना राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है।

क्र	योजना का नाम	प्रभावित क्षेत्र	लागत राशि (Rs Crore)
1	ओ सी पी. मेवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौन योजना।	112 385 हे	5.53

इन समस्त माईनिंग परियोजनाओं में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना की प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एस.ई.सी.एल. को देते हुये इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई है। इन परियोजनाओं के सगत भारत सरकार द्वारा जारी स्टेज-1/2 स्वीकृति या पर्यावरणीय स्वीकृति की जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त नहीं की गई है। अतः निम्न में जानकारी प्रेषित करें :-

1. समस्त वनभूमि में डायवर्सन योजनाओं के स्टेज 1/2 के स्वीकृति जा भारत सरकार से जारी की गई हो की जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों का अवलोकन करें जिसके पालन में उक्त योजनायें तैयार की गई हैं।

2. उक्त समस्त प्लान का अध्ययन करें एवं इस बाबत अभिमत देवे की प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र की वास्तविक योजनाओं पर आधारित है।

3. यदि प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र में हो तो मानव-हाथी द्वन्द्व एवं हाथी मानिटरिंग हेतु पर्याप्त प्रावधान होना सुनिश्चित करें।

4. प्रोजेक्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रबंधन, मानिट्रिंग आदि हेतु अन्य आवश्यक कार्य जो क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं पर इन समस्त प्लान का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट संशोधित किया जा सकता है। तत्पश्चात् प्रोजेक्ट अनुशासा सहित मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जावे।

(अरुण शर्मा)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पु.क्रमांक/व.जी./प्रबंध-488/2520

नवा रायपुर दिनांक 05/08/2020


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. रायगढ़। समस्त वन भूमि डायवर्सन के रागत राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किये गये प्लान की प्रतियां वनमंडलाधिकारी रायगढ़, मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी बिलासपुर को उपलब्ध करावें तथा वनमंडलाधिकारी रायगढ़ कार्यालय में प्रोजेक्ट के संबंध में आवश्यक चर्चा कर प्रोजेक्ट वनमंडलाधिकारी से अनुमोदन कराकर भेजना सुनिश्चित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर



ANNEX II



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.प्र.)  
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2020/ 6649  
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 24.12.2020

उप वनमंडलाधिकारी पाली  
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

विषय : विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण यावत्।

संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./व.जी./प्रबंध-488 /2519 नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2020

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ओ.सी.पी. गेवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना तैयार कर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर द्वारा 04 बिंदुओं की जानकारी चाड़ी गई है।

पक्षी संवर्धन योजना की मूल प्रति आपकी ओर प्रेषित है। बिंदु क्रमांक 02, 03 एवं 04 की जानकारी तैयार कर स्पष्ट अभिमत सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न: 1. संदर्भित पत्र की छायाप्रति।  
2. पक्षी संवर्धन योजना की मूल प्रति।

पृ. क्रमांक/तक.अधि./2020/ 6650  
प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा  
कटघोरा, दिनांक 24.12.2020

वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

oll

whcp file

## कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी पाली, जिला - कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / ...४४

पाली, दिनांक / २२/०// 2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

कटघोरा, वनमंडल कटघोरा

विषय:-

विभिन्न वन भूमि डायवर्सन प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तैयार किये गये पक्षी संवर्धन परियोजना के परीक्षण बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि./2020/6649 कटघोरा, दिनांक 24.12.2020

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ओ.सी.पी. गोवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना तैयार कर आवेदन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) रायपुर द्वारा बिन्दुवार जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त चाही गई जानकारी निम्नानुसार है-

बिन्दु क्रमांक 02 - ओ.सी.पी. गोवरा खनन क्षेत्र हेतु एवीफौना योजना का अध्ययन किय गया। प्रोजेक्ट एरिया में प्रस्तावित समस्त कार्यक्षेत्र वास्तावित योजनाओं पर आधारित है एवीफौना योजना से सहमति व्यक्त की जाती है।

बिन्दु क्रमांक 03 - प्रोजेक्ट एरिया हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

बिन्दु क्रमांक 04 - प्रोजेक्ट एरिया के वन्य प्राणी प्रबंधन मानिट्रिंग जैसे आवश्यक कार्य योजना में सम्मिलित किए गये हैं।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- पक्षी संवर्धन योजना की मूल प्रति।

उप वनमण्डलाधिकारी  
पाली, जिला - कोरबा (छ.ग.)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/ 801 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2015

कोरबा, दिनांक 29/04/2015

प्रति,

सचिव  
छ0ग0 शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नया रायपुर

- विषय :- कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत एसईसीएल की गोवरा खुली खदान रकबा 126.341 हेक्टर राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन बाबत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।
- संदर्भ :- महाप्रबंधक एसईसीएल गोवरा का पत्र क्रमांक एस.ई.सी.एल./मप्र/गे.क्षे./पर्यावरण/2015/09 दिनांक 15.04.2015 एवं पत्र क्रमांक 52, दिनांक 23.04.2015

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 401/भू.अ./स.अ.भू.अ./13 कोरबा, दिनांक 07.03.2013 को जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र (ग्राम रलिया में 54.873 हेक्टर, ग्राम नरईबोध में 71.468 हेक्टर कुल रकबा 126.341 हेक्टर) को संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत मुख्य महाप्रबंधक द्वारा निवेदन किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क0	ग्राम का नाम	आवेदित खसरा नं0	कुल रकबा हेक्टर में	आवेदित रकबा हेक्टर में	( राजस्व वन भूमि का मद )
1	2	3	4	5	6
1	रलिया	6/1	1.757	1.756	बड़ेझाड़ का जंगल
		16/1	18.402	7.000	बड़ेझाड़ का जंगल
		32/1	7.381	4.425	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/1	80.047	35.000	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/3	0.397	0.397	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/4	0.405	0.405	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/5	0.405	0.405	बड़ेझाड़ का जंगल
		38/6	0.178	0.178	बड़ेझाड़ का जंगल
	योग			49.566	
2	नरईबोध	1/1	0.628	0.628	बड़े झाड़ के जंगल
		8/1 ढ	16.140	16.140	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 झ	0.405	0.405	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 त	0.283	0.283	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 ठ	0.018	0.073	बड़ेझाड़ का जंगल
		8/1 ड	0.073	0.073	—
		8/1 ढ	0.287	0.287	—
		8/1 म	0.372	0.372	—
		13/1	11.018	4.209	—
		13/1 प		6.809	जंगल
		13/6	0.121	0.121	जंगल
		.15/1	5.917	5.917	जंगल
		44/1, 2	5.354	4.969+	बड़ेझाड़ का जंगल
				0-182	
		417/1	18.773	18.773	बड़ेझाड़ का जंगल
		417/2	0.648	0.648	बड़ेझाड़ का जंगल
		419/1	2.744	2.744	बड़ेझाड़ का जंगल
		259	0.186	0.186	—
	योग			62.819	
	महायोग			112.385	

//2//


D  
29/4/15

//2//

उपरोक्त राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए वनमण्डलाधिकारी कटघोरा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कटघोरा के प्रतिवेदन अनुसार मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा को गोवरा विस्तार परियोजना हेतु उपरोक्त खसरा नम्बर पर कुल रकबा 112.385 हेक्टेयर (ग्राम रलिया में 49.566 हेक्टेयर तथा ग्राम नरईबोध में 62.819 हेक्टेयर) राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा दी जाती है तो निम्न शर्तों के तहत इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी :-


1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर गोवरा विस्तार परियोजना हेतु दी जा रही है इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा ।
2. गोवरा विस्तार परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा ।
3. गोवरा विस्तार परियोजना में किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी ।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तारण नहीं किया जा रहा है ।
5. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा संचालित भवन पाए जाने पर मूल्यांकन कर देयक छ. ग. शासन राजस्व विभाग को होगा ।
6. सीमांकन उपरांत आवेदित भूमि पर वन अधिकार पत्र वितरण होना पाया जाता है । उक्त स्थिति में छ०ग० शासन की पुर्नवास नीति 2007 का उचित पालन एवं वन अधिकार पत्र धारियों के उचित व्यवस्थापन किये जाने की शर्त पर अनापत्ति दिया जाता है ।

(टीप :- शेष आवेदित भूमि राजस्व वन भूमि नहीं होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।)

  
( रीना बाबासाहेब कगाले )  
कलेक्टर  
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ० क्रमांक / 802 / भु०अ० / स०अ०भू०अ० / 2015 कोरबा दिनांक 29/04/2015  
प्रतिलिपि:-

- 1- वनमण्डलाधिकारी कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ ।
- 3- मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा क्षेत्र गोवरा को सूचनार्थ ।

  
( रीना बाबासाहेब कगाले )  
कलेक्टर  
कोरबा (छत्तीसगढ़)